उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 542/2018 प्रार्थना–पत्र
दायरा दिनांक :–20.12.2018
निर्णय दिनांक :–

उनवान

अमरलाल पुत्र सोमा जाति मेघवाल निवासी काल्पा जागीर तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां ।

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबड़ौद।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट
निर्णय दिनांक :–

अभिभाशक उपस्थित :– 1. श्री आसिफ अली खान – प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी के न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया, कि वाके ग्राम गांगटी तहसील छीपाबड़ौद के खसरा नंबर 46 रकबा 6.05 बीघा व खाता शोराम पुत्र डाल्या दर्ज जमाबन्दी है। उक्त खातेदार शोराम जिसका की वास्तविक नाम सोमा था, जिसे पुरानी जमाबन्दी से नई जमाबन्दी बनाते वक्त सोमा के स्थान पर शोराम कर दिया गया है, जिसकी शुद्वि होना आवश्यक है। उक्त खातेदार सोमा का प्रार्थी एक मात्र वारिस है। खातेदार सोमा की मृत्यु हो गई है। जमाबन्दी संख्या 8 वाके ग्राम गांगटी सम्वत् 2013–32 मे भी मृतक खातेदार का नाम सोमा वल्द डाल्या दर्ज है। खसरा नंबर 46 वाके ग्राम गांगटी की भूमि जमाबन्दी संख्या 56 सम्वत् 2035–38 मे प्रार्थी के पिता का नाम सोमा पुत्र डाल्या के स्थान पर श्योराम पुत्र डाल्या कर दिया गया, जो आगे चलकर नई जमाबन्दियों मे शोराम कर दिया गया है। उक्त त्रुटि दुरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी के आधार कार्ड मे भी पिता का नाम सोमा ही दर्ज है। ग्राम काल्पाजागीर की भूमि मे भी प्रार्थी के पिता का नाम सोमा ही दर्ज है। प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र मे वर्णित आराजी के राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी के पिता का नाम शोराम के स्थान पर सही नाम सोमा दर्ज करने का निवेदन दिनांक 06.09.2018 को तहसीलदार साहब छीपाबड़ौद से किया, और उन्हे रिकार्ड दुरस्त करने का निवेदन किया, लेकिन उन्होने प्रार्थी के निवेदन पर कतई ध्यान नही दिया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन मे नकल जमाबन्दी ग्राम गांगटी सम्वत् 2072–75 खाता संख्या 88, नकल खतौनी बदोबस्त सम्वत् 2013–32 खाता संख्या 8, नकल जमाबन्दी ग्राम गांगटी सम्वत् 2035–38, खाता संख्या 56, नकल जमाबन्दी ग्राम गांगटी सम्वत 2039–42 खाता संख्या 65, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2035–38 पेश की गई। फोटो प्रति आधार कार्ड अमरलाल, फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड अमरलाल पेश की गई। फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण–पत्र मृतक सोमा दिनांक 14.05.1975 पेश की गई। साक्ष्य प्रार्थी में अमरलाल पुत्र सोमा , बाबूलाल पुत्र माधोलाल के बयान कराये गये।

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारा

Scanned by CamScanner

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी का कथन कि विवादित आराजी वाके ग्राम गांगटी तहसील छीपाबडौद मे स्थित है। प्रार्थी के पिता का नाम सोमा था, जो राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे प्रार्थी के पिता सोमा के स्थान पर श्योराम व शोराम दर्ज कर दिया गया है, जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम सोमा है। प्रार्थी द्वारा इसके समर्थन मे नकल जमाबन्दी सम्वत् 2035–38 पेश की है, जिसमे प्रार्थी के पिता का नाम सोमा पुत्र डाल्या दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड एवं फोटो कापी राशन कार्ड मे भी प्रार्थी के पिता का नाम सोमलाल दर्ज है। प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड मे श्योराम, शोराम के स्थान पर सोमा दर्ज किया जावे, जिससे वादी को सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाओ मे किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नही करना पडे। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जावे, तथा प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड मे दुरस्त किया जावे।

बहस अभिभाषक प्रार्थी एक तरफा सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अध्योपान्त अध्ययन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम गांगटी सम्वत् 2072–75 खाता संख्या 88 मे शोराम पुत्र डाल्या दर्ज है। नकल खतौनी बदोबस्त सम्वत् 2013–32 खाता संख्या 8 मे प्रार्थी के पिता का नाम सोमा वल्द डाल्या कोम चमार दर्ज है। नकल जमाबन्दी ग्राम गांगटी सम्वत् 2035–38 एवं सम्वत् 2039–42 के अनुसार प्रार्थी के पिता का नाम श्योराम पुत्र डाल्या दर्ज है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2035–38 के अनुसार प्रार्थी के पिता का नाम सोमा वल्द डाल्या दर्ज होना पाया जाता है। राशन कार्ड एवं आधार कार्ड की फोटो प्रति पेश की गई, जिसमे प्रार्थी अमरलाल के पिता का नाम सोमलाल दर्ज है। उक्त समस्त दस्तावेजात से यह तहकीकात होता है, कि प्रार्थी के पिता का नाम सोमा पुत्र डाल्या दर्ज था, परन्तु जमाबन्दी सम्वत् 2039–42 एवं 2035–38 तैयार करते समय प्रार्थी अमरलाल के पिता का नाम सोमा के स्थान पर श्योराम, शोराम दर्ज कर दिया गया, जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम सोमा है। प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड मे श्योराम, शोराम के स्थान पर शोराम उर्फ सोमा दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम गांगटी तहसील छीपाबड़ौद के खसरा नंबर 46 रकबा 6.05 बीघा मे प्रार्थी के पिता शोराम के स्थान पर शोराम उर्फ सोमा दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार छीपाबड़ौद को दिये जाते है। तहसीलदार छीपाबड़ौद को पालना हेतु तहरीर जारी की जावे।

निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रामावतार मीना)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद

Scanned by CamScanner